

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय §सीपीसी§ की बैठक सं० 7/2000 दिनांक 13-1-2000 को सायं 4.00 बजे सचिव, जविप्रा श्री के.पी.सिंघल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

समिति के निम्न सदस्यों ने बैठक में भाग लिया :-

- 1- श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक §आयोजना§ जविप्रा, जयपुर ।
- 2- श्री पी.आर. शर्मा, निदेशक §वित्त§ जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री जी.पी. पाण्डे, निदेशक §विधि§ जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री एस.एल. माथुर, निदेशक §अभियान्तिकी§ जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक §सीपीसी§ जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

- 1- श्री नवल किशोर शर्मा, अति०आयुक्त §भूमि§/§समन्वय§ जविप्रा, जयपुर
- 2- श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक §एम.पी.§ जविप्रा, जयपुर ।
- 3- श्री सुरेश गुप्ता, उपायुक्त, जोन बी-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 4- श्री नीरज तिवाड़ी, उप नगर नियोजक, बीपीसी-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर ।
- 5- श्री गिराज अग्रवाल, सहायक आयुक्त, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 6- श्री प्रेमशंकर, सहायक नगर नियोजक §सीपीसी§ जविप्रा, जयपुर ।
- 7- श्री हरिप्रसाद शर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
- 8- श्री अनन्त देव टांक, सहायक नगर नियोजक, जोन ए-1, जविप्रा, जयपुर ।
- 9- श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, सहायक नगर नियोजक §सीपीसी§ जविप्रा, जयपुर ।
- 10- श्री प्रभात गोस्वामी, जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

§1§ बीपीसी-11 §सीपीसी§ की बैठक सं० 6/2000 दिनांक 12-1-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :

उपायुक्त, जोन बी-2 द्वारा बताया गया कि बैठक सं० 6/2000 दिनांक 12-1-2000 के जारी किये गये कार्यवाही विवरण में एजेण्डा सं० 6/2000-2 पर भूखण्ड की चौड़ाई 40 फिट तथा गहराई 63'-9" अंकित नियमन हेतु लिखा गया है जिसके स्थान पर भूखण्ड की चौड़ाई 43 फिट एवं गहराई 83'29" होने चाहिए । अतः जारी किये गये कार्यवाही विवरण में त्रुटिवश अंकित की गयी

४२४ विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

2.1- एजेण्डा सं० 7/2000-1 :- सुदाबाड़ी सोनार गृह निर्माण सह० समिति की योजना पदमावती कालोनी-प्रथम के भूखण्ड सं० 24 से 28 एवं 29 से 33 के ब्लॉक में संशोधन करने हेतु ४जोन बी-1४ :-
उपायुक्त जोन बी-1 द्वारा सुदाबाड़ी सोनार गृह निर्माण सहकारी समिति की पदमावती कालोनी-प्रथम में बताया गया कि भूखण्ड सं० 24 से 28 के भूखण्डों की गहराई अनुमोदित मानचित्र में 60 फिट बताया गया है, वह मौके पर 50 फिट है एवं इन भूखण्डों के सोसायटी द्वारा आवंटित पट्टों में यह 50 फिट ही है। इसी प्रकार भूखण्ड सं० 29 से 33 तक स्वीकृत नक्शे में गहराई 50 फिट दर्शायी गयी है जो कि मौके पर 60 फिट है एवं इस ब्लॉक में सोसायटी द्वारा जारी पट्टे में इन भूखण्डों की गहराई 60 फिट ही दर्शायी गयी है। अतः विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि भूखण्ड सं० 24 से 28 के भूखण्डों की गहराई 50 फिट एवं भूखण्ड सं० 29 से 33 तक के भूखण्डों की गहराई 60 फिट मानते हुए तदनुसार नियमन की कार्यवाही की जाये।

2.2- एजेण्डा सं० 6/2000-2 :- भूखण्ड सं० 99 सूरज नगर योजना में सैट बैक निर्धारण के संबंध में ४जोन ए-1४ :-

गुलाब बाड़ी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना सूरज नगर के भूखण्ड सं० 99 के साईड के सैट बैक निर्धारण के संबंध में प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार किया गया। चूंकि भूखण्ड सं० 98 में भवन निर्मित होने के कारण 5 फिट का सैट बैक रखा जाकर साईट प्लान जारी किया जा चुका है जिसके अनुसार ही भूखण्ड सं० 99 द्वारा भी 5 फिट का सैट बैक वाहा गया है। अतः निर्णय लिया गया कि समीपस्थ भूखण्ड सं० 98 की स्थिति को मद्देनजर रखते हुए भूखण्ड सं० 99 में भी 5 फिट का साईड सैट बैक रखे जाकर नियमन की कार्यवाही की जाये।

2.3- एजेण्डा सं० 7/2000-3 :- जलमहल गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अंगिरा नगर ४जोन बी-3४ :-

क्रिये गये है जिसमे अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गये दो भूखण्ड एक ही व्यक्ति के नाम पट्टा सोसायटी के द्वारा जारी कर दिया गया है। पट्टे में दोनों भूखण्ड नम्बर अंकित किये गये है परन्तु उनका क्षेत्रफल दोनों भूखण्डों के क्षेत्रफल को जोड़कर अंकित कर दिया गया है। इस पट्टे के साथ में जो साईट प्लान सोसायटी के द्वारा जारी किया गया है वह भूखण्डों के अलग-अलग जारी किये गये हैं। उपायुक्त द्वारा इस विषय में मार्गदर्शन चाहा गया कि ऐसे पट्टों में एक ही पट्टा दोनों भूखण्डों का सम्मिलित रूप से जारी किया जाये या अलग-अलग जारी किये जा सकते है एवं यदि एक ही पट्टा जारी किया जाता है तो क्या पुर्नगठन राशि ली जानी होगी अथवा नहीं। विचार-विमर्श पश्चात् निर्णय लिया गया कि ऐसे मामलों में यदि प्रार्थी दोनों भूखण्डों का एक ही आवंटन दोनों भूखण्डों को सम्मिलित कर लेना चाहता है तो उसका पुर्नगठन कर दिया जाना चाहिए एवं उससे नियम अनुसार फीस ली जानी चाहिए। यदि प्रार्थी दोनों भूखण्डों का अलग-अलग नियमन चाहता है तो उसको अलग-अलग नियमन करवाने की स्वतन्त्रता होनी चाहिए। इस विषय में कोई पुर्नगठन/उप विभाजन शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। यह नीतिगत निर्णय इस प्रकार के अन्य मामलों में भी लागू किया जा सकता है।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

for  15/01/2000
सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय सीपीसी
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: एफ-11/14/जविप्रा/वननि/सीपी/7/2000/डी- 25

दिनांक : 15-1-2000

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित है:-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक आयोजना, विधि, अभियांत्रिकी, जविप्रा, जयपुर।
4. अति-आयुक्त भूमि एवं योजनाएं/समन्वय, जविप्रा, जयपुर।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक एम.पी. जविप्रा, जयपुर।
6. उपायुक्त/प्राधिकृत अधिकारी/सहायक नगर नियोजक